भारत के राजपत्र भाग-IV में व्यक्तियों द्वारा बच्चा गोद लेने संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए दिशा-निर्देश

भारत के राजपत्र भाग-IV में बच्चा गोद लेने के बारे में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सूचना

भारत के राजपत्र भाग-**IV** में मूल/गोद लेने वाले अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित है-

(i) आवेदक द्वारा विधिवत स्वहस्ताक्षरित शपथपत्र

(ii) समाचार पत्र की मूल प्रति

(iii) आवेदक के विधिवत हस्ताक्षर करके तथा निर्धारित स्थान पर दो साक्षियों के हस्ताक्षर युक्त विधिवत टाइप किया गये निर्धारित प्रोफार्मो की दो प्रतियॉ ।

(iv) एम एस वर्ड में बिना साक्षी भाग की मुद्रित सामाग्री समाविष्ट सी. डी.

(v) स्व सत्यापित दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ तथा आई. डी. प्रूफ की फोटोकापी (स्व सत्यापित)

(vi) आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जिसमें यह घोषणा की गयी हो कि हार्ड कापी तथा सॉफ्ट कापी की विषय सूची समान है ।

(vii) अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन पत्र ।

भारत के राजपत्र भाग-**IV** में बच्चा गोद लेने की सूचना छपवाने के लिए आवेदक को विज्ञापन के प्रकाशन से पूर्व निम्नलिखित औपचारिकताएं पूरी करनी हाती है-

1. उसके मूल अभिभावक के साथ-साथ गोद लेने वाले अभिभावक की तरफ से बच्चा गोद लेने संबंधी नोटिस किसी एक प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराना होगा तथा अन्य कागज़ात सहित उसकी मूल प्रति इस विभाग को भेजनी होगी ।

2. मूल अभिभावक तथा गोद लेने वाले अभिभावक दोनों के द्वारा हस्ताक्षरित शपथपत्र , दोनो अभिभावकोंके पिता का नाम, आवासीय पता तथा गोद लेने की तिथिका पूरा विवरण मूल में इस विभाग में भेजें । यह भी घोषित हो कि इनमें दिए तथ्य सत्य है तथा उसकी जानकारी तथा विश्वास के आधार पर सत्य है ।

3. मूल/गोद लेने वाले अभिभावक तथा गोद लिए जाने वाले बच्चे के विधिवत स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार के दो फोटो भेजें ।

4. नाम परिवर्तन के प्रकाशन का दिनांक 01-04-16 से 31-03-17 तक का मुद्रण शुल्क रू 1700/-(हर केस के लिए) है। यह राशि नियंत्रक प्रकाशन, दिल्ली के नाम से अग्रिम रूप से नकद या डिमांड ड्राफ्ट/इंडियन पोस्टल आर्डर के रूप में जमा करनी होगी । यदि आवेदनकर्ता स्वयं आता/आती है तो मुद्रण राशि उपरोक्त दस्तावेजों के साथ इस विभाग में नकद जमा की जा सकती है । आवेदनकर्ता से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी राजपत्र की प्रति हमारी वेबसाइट www.egazette.nic.in से निम्न चरणों के अनुसार डाउनलोड कर लें क्योंकि दिनांक 30-09-15 के भारत के राजपत्र सं० 602 असाधारण भाग-II, खंड 3 उप खंड (i) के तहत दिनांक 01-10-15 से कागजी प्रतियों का मुद्रण तथा बिक्री पूर्ण रूप से बन्द कर दी गई है तथा यह ई-प्रकाशन के रूप में उपलब्ध होगा ।

चरण : राजपत्र खोज करने के लिए

चरण 1 : राजपत्र खोजें

चरण 2 : श्रेणी खोजें – साप्ताहिक राजपत्र

चरण 3 : चुनिंदा भाग और खंड में – भाग-IV

चरण 4 : पहले कैलेंडर (शनिवार की तिथि) से दूसरे कैलेंडर में (शनिवार की तिथि)

चरण 5 : अपेक्षित पी डी एफ फाईल डाउनलोड करें ।

चरण 6 : अपना नाम (पुराना)/नया) खोजों के लिए कट्रोल + एफ कुंजी को दबायें ।

चरण 7 : अपनी प्रति बनाने के लिए पूरा राजपत्र (Gazette) डाउनलोड करें । इसे विभाग द्वारा सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है

ध्यान दें :-

वेबसाइट द्वारा डाउनलोड की गई राजपत्र की प्रतियों में की गई किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के लिए प्रकाशन विभाग जिम्मेदार नहीं होगा ।

5. संबंधित व्यक्ति नमूने में दर्शायी सभी तरह से पूर्ण मुद्रण सामग्री को अलग से सादे कागज पर टाइप कराकर तथा निर्धारित स्थान पर मूल/गोद लेने वाले अभिभावाक तथा दो गवाहों से हस्ताक्षर कराकर दो प्रतियों में साफ्ट प्रति (सी डी एम एस वर्ड) के साथ भेजें प्रपत्र कम्प्यूटर से टाइप करके भेजा जाएं ।

6. विभाग में जमा किए गए कागजात मूल अथवा फोटो प्रति किसी भी स्थिति में वापिस नहीं की जाएगी ।

7. इस बारे मे मिलने का समय किसी भी कार्यदिवस को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक है ।

8. आवेदक द्वारा स्वहस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें यह घोषणा की होगी कि हार्ड प्रति तथा साफ्ट प्रति में निहित विषयवस्त एक समान है । साथ ही उसे शपथ भी लेनी होगी कि आवेदन किसी भी असंगति अथवा पारावहन हुए नुकसान के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा ।

9. सभी प्रकार से ठीक भरे हुए आवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् निवेदन को संबंधित भारत के मुद्रणालय में अधिसूचित करने के लिए भेज दिया जाएगा ।

10. आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ आई डी प्रूफ की स्वहस्ताक्षरित फोटो भेजे । स्वयं आकर जमा किए गए अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन ही स्वीकार किए जायेंगे । ऐजेन्ट, एडवोकेट इत्यादि के माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे ।

11. संबंधित प्रेस में मुद्रण में हुए किसी भी प्रकार के विलंब के लिए यह विभाग जिम्मेवार नहीं होगा ।

12. भारत के राजपत्र के प्रकाशक होने के नाते प्रकाशन नियंत्रक के पास यह अधिकार है कि वह प्रकाशन के लिए प्राप्त किसी भी अधूरी/अस्पष्ट/गैरकानूनी/भ्रामक मुद्रण सामाग्री के अस्वीकार कर सकता है ।

नोटः- प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 को संबोधित उक्त सभी दस्तावेज मुद्रण प्रभारों सहित एक अग्रेषण पत्र के साथ भेजे जाएं । किसी भी मामले में उपर्युक्त काग़जात वापिस नही किए जाऐंगे । समस्त पत्र-व्यवहार पुराने नाम से किया जाए । बाद के समस्त पत्रचार में हमेशा इस विभाग की संदर्भ संख्या का उल्लेख किया जाए ।

प्रकाशन नियंत्रक

<u>बच्चा गोद लेने के लिए प्रपत्र का नमूना</u>

(विधिवत् टाइप किया अथवा कम्प्यूटरीकृत प्रिंटर (2 प्रतियो में) तथा एम एस वर्ड में एक सी डी जमा करायें)

मै...पुत्र...निवासी........... ....एतद्रद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री..उम्र.............को श्री..पुत्र श्री... निवासी...ने उपपंजीकार के दिनांक....................के पंजीकरण सं..के तहत गोद ले लिया है

(मूल अभिभावक के हस्ताक्षर)

मै..पुत्र श्री.. में...................................पद पर नियुक्त, निवासी.. ....सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैंने उपर्युक्त अनुसार...को दिनांक..............................से गोद ले लिया है|

(गोद लेने वाले अभिभावक के हस्ताक्षर)

साक्षी सं. **1.**

हस्ताक्षर...पूरा नाम..

पता..

....

साक्षी सं. **2.**

हस्ताक्षर...पूरा नाम..

पता..

....

वयस्क के गोद लेने को रद्द करने की सार्वजनिक सूचना के लिए नमूना प्रपत्र

(विधिवत टाइप किया हुआ अथवा कम्प्यूटरीकृत प्रिन्ट (2 प्रतियों में) तथा एक सी डी जमा करायें)

सार्वजनिक सूचना

जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि मुझे...
श्री..तथा श्रीमती...
निवासी...
....
ने दिनांक.........................उपरजिस्टर विलेख सं..के तहत
दिनांक.........................को गोद लिया था ।

अब मेरे जैविक माता-पिता ने मुझे दन्तक विलेख रद्द आदेश दिनांक.........................
की सं..के तहत मुझे वापिस ले लिया है । मैं इसके बाद
श्री..तथा श्रीमती...
निवासी...
....
का पुत्र/पुत्री के रूप में जाना जाऊंगा/जाऊंगी ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने इस संबंध में अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया है ।

(अपना नाम टाइप करें)

हस्ताक्षर (पुराने नाम से)

साक्षी सं. **1.**
हस्ताक्षर..पूरा नाम...
पता...
....

साक्षी सं. **2.**
हस्ताक्षर..पूरा नाम...
पता...
....